ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 85-86

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-03, No.-II, Issues-15YEAR-2014 Extra

औरंगाबाद जिला (बिहार) में बाल विकासः एक भौगोलीक परिदृश्य

1. अभय चन्द्र चंचल 2.मनोज कुमार
पी– एच0 डी0– भूगोल विभाग म0 वि0, बोध गया (बिहार), भारत

सारांश : ***औरंगाबाद जिला दक्षिण बिहार में मगध प्रमण्डल का पश्चिमी भाग है। इस जिले का विस्तार 240 291से 250 7' उतरी अक्षांश तथा पश्चिम से पूर्व 840 0' 3'' पूर्व देशान्तर से 840 44' 50''पू0 दे0 के मध्य स्थित है। इस जिले की पशिचमी सीमा सोन नदी द्वारा निर्धारित होती है, जो एक प्राकृतिक सीमा है।***

कुंजीभूत शब्द– प्रमण्डल, भावी संसाधन, जनसंख्या, आयु संगटन, सामाजिक जीवन, सामाजिक, राजनैतिक ।

इसके द्वारा पशिचम में स्थित रोहतास जिला औरंगाबाद से अलग होता हैं। पूर्व में गया, उतर में जहानाबाद एवं दक्षिण में पलामू जिला द्वारा यह सिमाबद्ध हैं। राष्ट्रीय राज्यपथ सं02 (जी0टी0रोड) तथा मध्य–पूर्व रेलवे से सम्बिन्धत ग्रैंड कार्ड लाईन जो विधुतिकृत है, इस जिले से होकर गुजरती हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 3302.80 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत दो अनुमंडल– औरंगाबाद और दाउदनगर हैं तथा 11 विकास खण्ड हैं। 2011 में औरंगाबाद जिला का जनसंख्या 2540073 हैं और जनघनत्व 768 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। जिसमें 90. 29 प्रतिशत ग्रामीण अवादी तथा 9.32 प्रतिशत नगरीय आवादी हैं।

बच्चे किसी भी देश के भावी संसाधन और उसका भविष्य होते हैं। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के आयु संगटन का उस क्षेत्र के सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं: जैसे सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक कियाकलाप तथा गतिशीलता आदि पर प्रभाव पड़ता है। यह भी सत्य है कि आज की जनसंख्या में सम्मिलित बालक ही कल की क्षेत्रीय विकास के उतरदायी तत्व होंगे। यही कच्ची उम्र के लोग मानव संसाधन के रूप में कल की क्षेत्रीय शक्ति होंगे।

इस शक्ति का गुणात्मक विकास करने के लिए बाल विकास की अवधारण पर बल देकर उन्हें शिषिक्षु संस्थान से शिक्षा ग्रहण करानी होगी। इस बाल शक्ति को प्रौढ़ शक्ति में परिवर्तन होने के पर्व इसे परिशुद्ध एवं प्रबल बनाकर ही मानव संसाधन का सही उपयोग किया जा सकता हैं। स्पष्ट है कि इस बाल शक्ति के विकास के लिए आवश्यक संस्थानों की संख्या बढ़ाई जाय। औरंगाबाद जिला में बाल विकास की व्यवस्था में राजकीय योजनानुसार प्रति एक हजार की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की योजना हैं। इस योजना के तहत (1) 1 से 0 वर्ष के बच्चों का पूर्व प्रथमिक शिक्षा प्रदान करना (2) 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषाहार देना। (3) गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषाहार देना (4) प्रतिरक्षी कार्यक्रम के अन्तर्गत टीकाकरण– जौसे पोलियो, बी0सी0जी0, टी0टी0 चेचक उन्मूलन आदी के टीके लगाना इस योजना से शिशु के गर्भस्य होने के समय से ही उससे संरक्षण, पोषण, पालन– पोषण की व्यवस्था परिलक्षित होती हैं। किन्तु इाका पूर्णतः लाभ अभी क्षेत्रीय बच्चे को शिक्षा की कमी के चलते नही मिलपा रहा हैं। इस कार्य से जुड़े लोगों की मानसिकता भी समाज लाभ से स्वलाभ की ज्यदा है। जिससे यह योजना तेजी से सफल की ओर नही जिससे यह योजना तेजी से सफल की ओर नहीं बढ़ रही है। वैसे इस योजना के तहत औरंगाबाद जिला में आँगनबाड़ी के 2004 केन्द्र हैं।

तालिका–1

औरंगाबाद जिला में आँगनबाड़ी केन्द्रों का संख्या

प्रखण्ड का नाम	आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या
नवीनगर	239
कुटुम्बा	185
देव	138
दाउदनगर	167
मदनपुर	166
बारूण	161
हसपुरा	12115
ओबरा	179
गोह	185
रफीगंज	237
औरंगाबाद	222
योग	2004

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-03, No.-II, Issues-15YEAR-2014 Extra

सोतः– उपनिदेशक कार्यालय मगध प्रमंडल कल्याण विभाग, गया।

आँगनबाड़ी सेविकाओं के प्रशिक्षण केन्द्र जम्होर और दाउदनगर में चल रहा हैं। इस योजना और व्यवस्था से 7 वर्ष से कम के बालको विकासित करने के लिए औरंगाबाद जिला में 4 प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, 88 उच्च विद्यालय, 452 मध्य विद्यालय और 1069 प्राथमिक विद्यालय हैं किन्तु 285969 परिवार और 2013055 जनसंख्या के लिए यह बाल विकास की व्यवस्था नही हैं। इस व्यवस्था का विस्तार आवश्यक हैं।

तालिका–2

प्रखण्डानूसार राज्यकीयकृत उच्च विद्यालयो की संख्या

क्र0सं0	प्रखंण्ड का नाम	राजकीय कृत उच्च विद्यालयो की संख्या
1.	गोह	08
2.	औरंगाबाद	10
3.	नबीनगर	12
4.	ओबरा	09
5.	हसपुरा	06
6.	दाउदनगर	11
7.	देव	06
8.	मदनपुर	05
9.	रफिगंज	09
10.	कुटुम्बा	06
11.	बारूण	06
	कुल योग	88

स्त्रोत जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद के कार्यलय से प्राप्त आँकड़ें।

बच्चें के सम्बंध में यूनीसेफ द्वारा जारी आँकड़े के आधार पर भारत में जन्म लेने वाले 100 बच्चे में से 25 को आवश्यक टीके तक नही लगते, 16 को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नही होता, 47 ऐसे हैं। जो पहले तीन वषो के दौरान कुपोषण से ग्रस्त रहते हैं, 15 बच्चे कभी स्कुल नही जा पाते और केवल 45 ऐसे हैं जो पाँचवीं कक्षा तक पहुँच पाते हैं। यह राष्ट्रीय आँकड़े औरंगाबाद जिला में भी अपने इस रूप में वर्तमान है। इसके अतिरिक्त विश्व के कुल बाल श्रमिको में से 50 प्रतिशत से अधिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगटन की रिपोर्ट के अनुसार, अकेले भारत में ही 5 से 10 करोड़ के बीच बालक श्रमिक हैं। यह दशा निर्धनत के चलते है। इस दृष्टि से गरीबी की रेखा से नीचे निवास कर रहे इस जिला के परिवार के 5–14 वर्ष के बहुतायत बच्चे बाल श्रमिक के रूप में आज के परिवार के रूप में आज भी काम कर रहे हैं। इसके कारण औरंगाबाद जिला कि मानव संसाधन का गुणत्मक विकास कुप्रभावित हो रहा हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल उमेश चन्द्र– देश में बाल संरक्षण एवं कल्याण की रणनीती का प्रभाव, योजना नम्बर 2002, पृ0–15.
2. अग्निहोत्री प्रशान्त– काम के बोझ टले दबा बचपनः कारण एवं निवारण, योजन नम्बार 2002 पृ0–16.
3. उपाध्याय शुभा – दक्षिण बिहार के जनसंख्या एक भौगोलीक अध्यन अप्रकाशीत शोध प्रबन्ध, भू0वि0म0 वि0 बोधगया।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद के कार्यालय से प्राप्त आकड़ें।
5. उपनिदेशक कल्याण विभाग के कार्यालय मगध प्रमण्डल गया।

*****